

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY POLICY (ICT Policy 2011)

This policy will govern the vision of state to implement and govern the
IT enablement in the state by providing guidelines



Department of **Information**
Technology
Government of Bihar
2011

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY POLICY 2011

TABLE OF CONTENT

1.	PREAMBLE.....	1
2.	ICT VISION of State.....	1
3.	Objectives.....	1
4.	Definitions.....	2
5.	Classification of ICT Policy.....	2
5.1	ICT policy for Industry	3
5.1.1	Pre-Production Facilities.....	3
5.1.1.1	Registration / Stamp Duty Concession	3
5.1.2	Post-Production Facilities.....	3
5.1.2.1	Incentive for Preparation of Project Report	3
5.1.2.2	Financial Assistance on fees paid for “Technical Know-How”	4
5.1.2.3	Incentive on Quality Certification	4
5.1.2.4	Incentive Granted on Land.....	4
5.1.2.5	Exemption from AMC / Minimum Base Energy Charge/ Demand Charge	4
5.1.2.6	Incentive / Grant on Plant & Machinery for Captive Power Generation	4
5.1.2.7	Subsidy on Capital Investment.....	5
5.1.2.8	Benefit on Entry Tax.....	5
5.1.2.9	Central Sales Tax.....	5
5.1.2.10	Reimbursement of VAT	5
5.1.2.11	Exemption on Electricity Duty, Conversion fee and luxury tax.....	5
5.1.2.12	Employment Generation Grant	6
5.1.2.13	S.C. / S.T. /Women / Differently Enabled Person.....	6
5.1.2.14	Venture Fund.....	6
5.1.2.15	Facilities to the units on Expansion / Modernization.....	6
5.1.2.16	Special Incentives for Innovative IT/ITES /EHM Units / Projects	6
5.1.2.17	Price Preference for public sector and state suppliers	6
5.1.2.18	Single Window Clearance System	7
5.1.2.19	Incentives related to Statutory regulations	7
5.1.2.20	Other incentives /Benefits	8
5.2	ICT policy for the Education	8
6.1.1.	ICT at School Level.....	8
6.1.2.	ICT at College Level.....	9
6.1.3.	Bihar Knowledge Society (BKS)	9

6.1.4.	Centre of Excellence for IT.....	10
6.1.5.	Other Thrust Area	10
5.3	ICT policy for Governance	10
6.3.1.	e-Governance Framework	10
6.3.2.	e-Government Interoperability Framework and Open Standards.....	11
6.3.3.	Capacity Building & Change Management	11
6.3.4.	Adoption of m-Governance.....	11
6.3.5.	Promotion to Green-IT	11
6.3.6.	e-Governance Monitoring	12
6.3.7.	Other Government Initiatives.....	12
5.4	ICT policy for Citizens.....	13
6.	Improving Business and Social Infrastructure	14
6.1	Airline Connectivity.....	14
6.2	Road Connectivity	15
6.3	Power Supply	15
6.4	Reliable Communication Links.....	15
6.5	Residential Real Estate.....	15
6.6	Retail and Entertainment Hubs.....	15
7.	Important Information	15

1. PREAMBLE

India's success in the export of Information Technology (IT) Software and Related Services over the past decade is well known. India now accounts for 65 percent of the global market in offshore IT and 46 percent of the ITES market. The growth of the sector has led to tremendous pay-offs in terms of wealth creation and generation of high quality employment.

However, this rapid growth and the associated developmental impacts have mostly been confined to a handful of IT-BPO hubs located in a few states. Bihar has largely been bypassed by these exciting developments. It is the intention of the State Government to provide good governance through IT enablement and encourage development of the state by investment of the IT/ITES industries in Bihar, so that the people of Bihar enjoy the benefits of better citizen centric services at their doorstep and economic prosperity.

2. ICT VISION OF STATE

The Government's vision is to develop Bihar are as follows:-

- To endeavour for rapid expansion and growth of knowledge based economy in the state.
- To bridge the digital divide which separates the citizen in urban areas from those in rural areas by creating an unparalleled IT infrastructure & deliver online services to every citizen in the state
- To make Bihar the next destination of investment in the IT/ITES/EHM industries and fuel the development of the state
- To make Bihar the frontrunner state in good governance through ICT (Information and Communication Technology) enablement.

3. OBJECTIVES

To fulfill the ICT vision of the state by 2016, the following objectives need to be attained

1. **Human and Intellectual Capital Resource:** Create a talented pool of Human Resources by promoting computer literacy at the school level and IT enablement of employable youth by providing them appropriate training.
2. **Employment:** To create jobs for the local youths by attracting investments from IT/ITES/EHM units in the state
3. **IT Infrastructure:** To create a world class IT infrastructure in the state

4. **e-Governance:** Promote the e-Governance initiatives under NeGP and State Department of IT to bring maximum Government departments citizen services in interactive online mode.
5. **Investment:** Promote investment in the IT/ITES/EHM Units by Private industry to accelerate the pace of IT enablement of the state.
6. **Environment:** To provide a conducive environment of business for the IT/ITES/EHM Units by extending support from the Government and increasing opportunities in the state.
7. **Regulations:** Devise appropriate legal and regulatory framework for efficient administration of IT/ITES/EHM Units and prevent the misuse of IT and protect intellectual property rights, patents & trademarks.

4. DEFINITIONS

- **IT Service**" is defined as any service which results from the use of any IT software over a system of IT products for realizing value addition.
- **"IT enabled Services"** are human intensive services that are delivered over telecom networks or the internet to a wide range of business segments such as Medical Transcription, Legal Database processing, Digital content development / animation, Remote Maintenance, Back office operations – Accounts /Financial services, Data Processing and Call Centers etc
- **"IT Industry"** includes IT Hardware and IT/ITES units/companies. Where IT units/companies include IT Applications, software & IT services and IT Enabled Services includes BPO/ KPO/Consulting /Animation & Gaming and other Knowledge Industry units such as Nanotechnology, Telecommunications etc.
- **"EHM Units"** means Electronic Hardware Manufacturing Units.
- **"Institutions"** offering specialized education & training for IT and Knowledge Industries such as finishing schools, Entrepreneurship Development Cells, Incubation Centers, Institutes of higher learning and other knowledge industries, will also be considered as part of an IT Industries under this policy.

5. CLASSIFICATION OF ICT POLICY

The ICT policy has been classified under the following heads for better understanding and focus.

- ❖ ICT Policy for Industries
- ❖ ICT Policy for Education
- ❖ ICT Policy for Governance
- ❖ ICT Policy for Citizen

5.1 ICT POLICY FOR INDUSTRY

IT/ITES/EHM Units will be eligible for all the incentives of the Industrial Incentive Policy 2011, Department of Industries, Govt. of Bihar. All incentives applicable to industries would also be automatically available to IT/ITES/EHM Units.

5.1.1 FACILITIES PRE-PRODUCTION

5.1.1.1 REGISTRATION / STAMP DUTY CONCESSION

- a) IT/ITES/EHM Units which are to be established in the industrial area / shed / IT Park / Industries and outside the area of the authority will enjoy the full (100%) exemption in stamp duty and registration fee in lease / sale /transfer of land.
- b) This facility will be granted only for the first time and thereafter will not be granted on subsequent lease / sale /transfer of land. The facility will be valid for new units only.
- c) Those existing units, which shall undergo expansion or diversification to the extent of 50% increase in their production capacity and who have not availed any concession on stamp duty / registration fee previously, will also be entitled for expanded land only.
- d) Those unable to avail of exemption will be entitled to reimbursement on a Post-production basis.

5.1.2 FACILITIES POST-PRODUCTION

The maximum limit of various reimbursements like incentive for project report preparation, incentive on land/shed, financial assistance on Technical know-how, capital subsidy etc. to be given to a unit after commencement of commercial production, will be Rs. 600 Lacs (excluding incentives given on Captive Power generation/DG set)

5.1.2.1 INCENTIVE FOR PREPARATION OF PROJECT REPORT

- a) Reimbursement of the cost incurred in the project report preparation by the IT/ITES/EHM Units at the rate of 50% subject to a maximum of Rs.2 Lacs will be made available provided, the project report is prepared by any of the firms recognised by the IT Department.
- b) Project reports for obtaining carbon credit reimbursable up to 50% (Max Rs.15 Lacs), provided carbon credit is obtained.

5.1.2.2 FINANCIAL ASSISTANCE ON FEES PAID FOR “TECHNICAL KNOW-HOW”

Entrepreneur who obtains “Technical Know-How” from any recognized National research centre / laboratory or institution to establish or to expand its unit / company / firm / venture, an amount of 30% (Max. Rs. 15 lakhs) of the fee paid to the institution/organization for the “Technical Know-How” will be reimbursed.

5.1.2.3 INCENTIVE ON QUALITY CERTIFICATION

- a) Reimbursement of fee expenses on quality certification like ISI (or equivalent National / International institution) or and any other accredited certification required for industry will be funded by State Government as per the subsequent clauses.
- b) The IT/ITES/EHM unit can claim this incentive only once.
- c) Government shall reimburse 75% of the expense incurred by
 - i. An IT company/Unit on securing quality certification of ISO/SEI CMM level 2/ and above/ STQC etc.
 - ii. An ITES Company /Unit for achieving COPC (Customer Operation Performance Centre) and eSCM (eSourcing Capability Model) certification etc.
 - iii. An Electronic Hardware Manufacturing (EHM) unit for achieving ISI / ISO / BS or Quality approvals granted by recognized international agencies like BVQI, DNV, LRQA, TUV) and STQC etc.

5.1.2.4 INCENTIVE GRANTED ON LAND

- a) All the IT/ITES/EHM units/ Industries will be entitled for incentive / grant on the value of land / park allotted by Bihar Industrial Area Development Authority / Export Promotion Industrial Park / Food Park / Agri Export Zone / IT Park/Industries or Govt. in the following manner:

Industry	Grant
Small / Tiny Units (within prescribed financial limits)	50% or 15 Lacs (Max.)
All Large/medium/mega units (within prescribed financial limits)	25% or 30 Lacs (Max.)

- b) Govt of Bihar will identify suitable Government Land and reserve it for large IT/ITES/EHM Units, wherever possible.

5.1.2.5 EXEMPTION FROM AMC / MINIMUM BASE ENERGY CHARGE/ DEMAND CHARGE

Existing units as well as the new IT/ITES/EHM units shall get AMC/ Minimum Base Energy charge/Demand charge concession under the new ICT policy from the date of announcement of the New ICT Policy. This facility will be valid for next five years.

5.1.2.6 INCENTIVE / GRANT ON PLANT & MACHINERY FOR CAPTIVE POWER GENERATION

The Incentives / Grants on Plant & Machinery for Captive Power Generation/ Diesel Generating Set / Solar Power Unit installation will be provided as follows:-

- a) The unit shall be eligible for a grant of 50% on the plant & machinery cost in setting up a Captive Power generation/Diesel generating set unit. There is no max limit for this.
- b) The existing units will also be entitled as per [a] in case of setting up a new Captive Power generation / Diesel generating set unit. This facility will be available after the implementation of ICT Policy 2011 for 5 years.
- c) This grant will also be available to SPVs formed for the purpose of setting up Power Units for supply of Power to Industrial area/Group of Industries, provided majority of the members of the SPVs are from that industrial area/group
- d) A grant of 60% on the expenses incurred on purchase of Plant & Machinery for setting up unit for production of energy from Non conventional sources (with no maximum limit)

5.1.2.7 SUBSIDY ON CAPITAL INVESTMENT

- a) New IT/ITES/EHM units shall get a reimbursement of 20% on the capital investment made on Hardware & IT equipment, Software, Network equipments etc.(Max. limit Rs.75 Lacs), after enforcement of this policy and will be paid only after commencement of commercial production by that unit.

5.1.2.8 BENEFIT ON ENTRY TAX

During the post production stage of a new IT/ITES/EHM unit, in case of output tax being adjusted under entry tax, the amount paid under the head of Entry tax will be included within the 80% reimbursement of VAT amount.

5.1.2.9 CENTRAL SALES TAX

Only 1% CST will be payable on the items produced by the registered MSME of IT/ITES/EHM units in Bihar. Note: In case of GST implementation above mentioned facilities will be applicable in similar way.

5.1.2.10 REIMBURSEMENT OF VAT

- a) The IT/ITES/EHM unit will get a passbook (paper/electronic) from the State Government in which the details of the tax paid under Bihar VAT would be entered and verified by the Commercial Taxes Department in the prescribed Form.
- b) Commercial Tax Dept. will be authorized to release the incentive amount on the basis of the above verification.
- c) New units will be entitled for reimbursement of 80% against the admissible VAT amount deposited with State Government, for a period of ten years.
- d) The maximum amount of reimbursement will be 300% of Capital investment.
- e) The existing IT/ITES/EHM unit shall get 25% reimbursement of VAT / Luxury tax on the amount deposited in Govt. Account against the admissible VAT amount, for a period of 5 years.

5.1.2.11 EXEMPTION ON ELECTRICITY DUTY, CONVERSION FEE AND LUXURY TAX

New IT/ITES/EHM units after coming into commercial production shall be entitled for the following benefits:-

- a) 100% exemption on Luxury tax for a period of 7 years
- b) 100% exemption on Electricity duty for a period of 7 years
- c) 100% exemption on Land Conversion fee

5.1.2.12 EMPLOYMENT GENERATION GRANT

After the implementation of this policy, if any IT/ITES/EHM unit creates direct employment for over 100 persons, will be entitled for an incentive amount equivalent to the EPF amount paid by them to the New employees for a period of 1 year from the date of employment.

5.1.2.13 S.C. / S.T. /WOMEN / DIFFERENTLY ENABLED PERSON

- a) The entrepreneurs under this category will avail 5% additional grant / exemption / subsidy than the limit fixed under this policy. This will be applicable solely to the fully owned by any one person of this category or a group /mix of the person defined in this category only.
- b) Such Scheduled caste / scheduled tribe / women / Differently Enabled Person class entrepreneurs, who set up IT/ITES/EHM units and whose turn-over is up to Rs. 30 Lacs per annum will get 100% VAT reimbursement against the admissible VAT amount for a period of 10 years.

5.1.2.14 VENTURE FUND

State will create a Venture Fund with a corpus of around Rs. 100 Crores to promote entrepreneurs to set up their innovative IT/ITES/EHM units in Bihar.

5.1.2.15 FACILITIES TO THE UNITS ON EXPANSION / MODERNIZATION

Those existing IT/ITES/EHM units which shall undergo expansion / modernization of their capacity, will get the facilities on their incremental production as explained in post production facilities.

5.1.2.16 SPECIAL INCENTIVES FOR INNOVATIVE IT/ITES /EHM UNITS / PROJECTS

A special package of incentives will be offered for innovative & indigenous IT projects and IT/ITES/EHM units. Such projects/units will be defined as projects/units creating employment of more than 100 citizens in EHM units, 500 citizens in case of IT projects/units and 1000 citizen in case of ITES projects/units or attracting an investment of Rs. 50 Crore or more.

The following additional special package will be available:-

- ✓ Limit of Capital subsidy will be 20% but the limit will be raised from Rs. 50Lacs to Rs. 3 Crores.

5.1.2.17 PRICE PREFERENCE FOR PUBLIC SECTOR AND STATE SUPPLIERS

- a) A maximum of 10 percent price preference will be given to the IT/IETS/EHM Units (including Public Sector Undertakings) located and registered in Bihar over the IT/IETS/EHM Units registered outside of Bihar.
- b) While giving price preference, no relaxation is to be made in terms of quality and specifications. However, after receiving the purchase order, if they fail to supply the goods /services, without any appropriate reason, they will be blacklisted and debarred /disqualified to participate in any of the future Government assignments. A database of the blacklisted vendors will be made available Online.

5.1.2.18 SINGLE WINDOW CLEARANCE SYSTEM

- a) The State Investment Promotion Board (SIPB) will serve as the Single Window Agency for providing approvals & clearances for setting up new IT/ITES/EHM units in the State.
- b) An escort service would be started to assist the entrepreneur in pre and post SIPB approval activities. An On-line Clearance & Support Network (OCSN) linking all the related Departments/ organizations shall be created for facilitation of entrepreneurs.
- c) It would be supported by state-of-the-art centralized helpdesk call centre on 24x7 basis.

5.1.2.19 INCENTIVES RELATED TO STATUTORY REGULATIONS

- **There would be a provision of self certification and IT/ITES/EHM units would be exempted from the following:**
 - ✓ Pollution Control Act to be effective only as per Government of India guidelines
 - ✓ Legal Power Cuts
 - ✓ Zoning Regulations in respect of location
- **The following exemptions under the relevant Acts will be applicable to the IT/ITES/EHM units :**
 - ✓ The IT/ITES/EHM units will be added in schedule-1 of the Bihar Shops and Establishment Act 1953 and concessions under sections 7,8 and 12 (I) shall be extended to it. By this the unit would be given exemption from the provisions relating to the hours of business and weekly closure.
 - ✓ The hours of work for women employees would be relaxed under section 66 of the factories Act, 1948. Accordingly for IT/ITES/EHM establishments, Women would be able to work between 5 AM and 10 PM instead of 6 AM to 7 PM in such establishments.
 - ✓ The IT/ITES/EHM units will be added as an independent employment in the schedule of minimum wages Act 1948 so that the workers may be classified separately
 - ✓ IT/ITES/EHM Units will be permitted to self certify that they are maintaining the register and forms as contemplated under various following Acts viz
 - Payment of Wages Act , Minimum Wages Act , Workermen's Wages Act, Employees State Insurance Act , Payment of Gratuity Act , Maternity Benefit

Act, Equal Remuneration Act, Water & Pollution Act, Employment Exchange Act, Factories Act, Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, Contract Labor (Regulation and Abolition) Act

- ✓ IT & ITES companies would be exempted from Pollution Control Act. While EHM units must have to follow the Pollution Control Act.
- ✓ The labor laws would be relaxed for IT/ITES/EHM units and they would be allowed 24 X 7 operations with 3 shifts per day.

5.1.2.20 OTHER INCENTIVES /BENEFITS

- State would help IT/ITES /EHM Units by keeping all the computer equipments, spare parts, computer peripheral devices, other connectivity devices, network cables, etc. under Common Sales Tax which would be lower than the Uniform Floor rate.
- In order to promote the participation in international events, by the emerging IT/ITES/EHM units (registered in Bihar only and turnover does not exceed Rs 10 Crore in the preceding year), the Department of IT will provide a 30% subsidy to those IT/ITES/EHM units in respect of the stall rent payable for participation in international events as notified by the IT Department.
- IT/ITES companies that use power up to 5 KVA will be permitted to be established without any location restrictions.
- **Cyber Crime and Cyber Act** -The State shall provide a high level of security for the operation of IT/ ITES/EHM units set-up in the state. Offences pertaining to the violation of data security, confidentiality of documents and non disclosure of agreements will be dealt seriously. State will set up a Cyber Crime Detection Cell in Patna for the same.
- **Special awards** will be given to IT/ITES/EHM Units giving substantial employment opportunities to the **differently enabled persons**.
- IT/ITES/EHM Units will be encouraged to participate in **community and social development activities**.
- The Government of Bihar will actively pursue tie-ups with counterpart agencies in other states and countries to explore the possibilities of investments by companies seeking to set up ICT investments in more than one state / country.

5.2 ICT POLICY FOR THE EDUCATION

5.2.1 ICT AT SCHOOL LEVEL

- CAL under Serva Siksha Abhiyan (SSA) has been envisioned to give benefit of interactive education to children of classes VI-VIII through computers. Currently 619 middle schools, are taking the benefit of this scheme. This will be extended to total 1000 schools in 3 to 5 years in phased manner.
- Under the aegis of ICT@School, all Government and Govt. aided Secondary and Higher Secondary Schools will provide basic computer literacy courses through a computer lab with broadband internet connectivity. Presently being implemented in 1000 schools and

expected to be launched in 1350 schools by 2012. All Government and Govt. aided Secondary and Higher Secondary Schools will be covered through ICT @School project by 2013.

- The State Government shall take up intensive computer training of at least 10% of teachers in Higher Secondary Schools and progressively train at least 2-5 teachers in all other schools.
- Courses on IT would be introduced in all branches of study starting from Higher Secondary Level. Specific courses would be launched to provide project management, project development and software skills.
- School and College curriculum will focus on soft skills like communication skills and personality development. The government shall identify knowledge partners to develop the content for the new curriculum.
- Special preference in terms of admission to IT courses started in Government Schools and Colleges will be given to the Girls and to the differently enabled persons. Also Govt. of Bihar will consider the requirement of special infrastructure and other special facilities for various categories of differently enabled persons to be made available.

5.2.2 ICT AT COLLEGE LEVEL

- Under National Programme on Technology Enhanced Learning [NPTEL], about 400 e-courses & content generated by IITs and IIS Bangalore faculty in the field of IT. This course content can be accessed in form of Virtual Classroom for interactive lectures & learning for students at University level through 1GB connectivity under National Mission on Education through Information & Communication Technology [NME-ICT].
- Computer labs are being set up in Universities & Constituent Colleges. Till date colleges affiliated to 14 University has been identified by HRD and Affiliated Colleges will be taken up in the next phase. Rest all the colleges/ universities will be connected under NME-ICT project by 2015.
- The State will facilitate partnership between educational institutes and industry to identify specific areas of research in the ICT area.
- To promote scholars and researchers, the state will give scholarships to deserving candidates from Bihar for undertaking R&D in IT and provide incentives for students from Bihar to take up Doctoral and Post Doctoral research in the ICT area.

5.2.3 BIHAR KNOWLEDGE SOCIETY (BKS)

Through BKS the Government of Bihar will endeavor to develop 5 IT Training centre per district for imparting computer literacy and other short-term (6 months) certificate courses for training the unemployed educated youth in various IT skills in PPP Mode. These centers would receive appropriate grants/ concessions from the Government.

5.2.4 CENTRE OF EXCELLENCE FOR IT

A task force will be set up for developing technical institutes in the State into centers of excellence under Technical Education Quality Improvement Program (TEQIP). Each Centre of excellence would adopt neighboring ITIs and Polytechnics. 46 colleges have been identified for converting them into centre of excellence (CoE).

5.2.5 OTHER THRUST AREA

- Sufficient enabling environment for teaching foreign languages like German, French, Spanish, Japanese and Arabic etc. will be created, so that opportunities in major markets of non- English speaking countries could be tapped.
- State Government will design IT courses/training modules for the accounts, commerce and any graduates can be eligible for employment in high end Knowledge Process Outsourcing Industry.
- State Government will promote the institutes providing domain specific courses for HR, Finance and accounts processing, Medical Transcription, etc.
- The state would endeavor to establish an international level institute for IT Education and Training to assure rapid development of IT in the state.
- The state would endeavor to setup EDI & SME knowledge & Technology Centers to create skill developments.

5.3 ICT POLICY FOR GOVERNANCE

5.3.1 E-GOVERNANCE FRAMEWORK

The Government shall endeavor setting up of Electronics Governance and Citizen Facilitation to provide better services and improved quality of governance and citizen facilitation. BSWAN under NeGP core infrastructure initiative aims at providing 4 Mbps vertical connectivity between State Headquarter & District Headquarter and 2 Mbps between District Headquarter & Block Headquarter. DIT is also taking steps to connect all the departmental offices across Bihar to the nearest BSWAN PoP through Horizontal Connectivity (BHSWAN). BHSWAN will become a useful tool to ensure the participation of Panchayat level official machinery for MNREGA, IAY and other high impact schemes.

The State Government shall develop a robust, reliable and secure centralised IT infrastructure to facilitate coordinated and efficient implementation of e-Governance activities initiated by the various Departments. Towards this end this scheme SDC, SSDG/State Portal/Enhancing lease line capability of the BSWAN is already under way.

Every department shall endeavor to put all Government regulations, schemes, forms, tenders etc. on the Internet on a common web portal.

5.3.2 E-GOVERNMENT INTEROPERABILITY FRAMEWORK AND OPEN STANDARDS

DIT would take steps to develop and implement IT standards uniformly across the State. It would be ensured that these standards are not hardware-centric and vendor dependent. These standards, templates and data formats would be designed carefully by teams of experts drawn from government, IT companies, academia, R & D institutions and users/stakeholders. The Government of Bihar will develop an interoperability framework.

5.3.3 CAPACITY BUILDING & CHANGE MANAGEMENT

Capacity Building has been identified as the prominent precursor for the implementation of the e-Governance Plan. DIT will ensure that the outcome of the Capacity Building programme justifies the following:

- Ensuring provision of necessary training across various levels to the identified stakeholders
- Creation of institutional capacities across the State for implementing the e-Governance plan at the State level by constituting the State e-Governance Mission Teams.
- All Government Departments will prepare 5 year IT plans with yearly deliverables containing details of investments envisaged in the IT infrastructure, training of personnel, etc.
- Government Departments providing high volume of citizen centric services will earmark 3% percentage of its planned budget and one Nodal IT Officer to coordinate with the IT Department for conceptualization and implementation of State IT Projects.

5.3.4 ADOPTION OF M-GOVERNANCE

Extensive adoption of M-Governance by State Govt. Departments for making all G2G, G2C and C2G transaction information real time so as to facilitate instant citizen services through SMS in Automatic, Anywhere – Anytime – Anyone mode. Govt of Bihar envisages adopting the M-governance platform on the managed service model which can be made to go-live very quickly in a short duration.

5.3.5 PROMOTION TO GREEN-IT

Government of Bihar is well aware with its environmental responsibility and hence committed for Promotion of Green IT by:-

- Reducing e-waste by recycling of IT hardware and providing incentive for project Reports in compliance to gain carbon credit.
- Use of Renewable energy resources like solar, wind etc for solving power crisis of State.
- Promotion for Energy Efficient IT Hardware/Software/ Network Architecture

5.3.6 E-GOVERNANCE MONITORING

- Department of IT will render all necessary assistance to other departments for implementation of the e-Governance programme.
- District e-Governance Society (DeGS) will be constituted in each District under the chairmanship of the District Magistrate with representation of various departments including NIC to formulate, monitor and implement IT schemes/ programmes at the district level.
- Bihar State Electronics Development Corporation Ltd. (BSEDC) is would form JVs with private agencies with a view to facilitating e-Governance implementation and rendering IT services.
- **State e-Governance Project Steering Council** - SeGP Steering Council is an Apex body constituted under the chair of Honourable Chief Minister of State for providing over all vision, broad policy directions and guidance to the state. Members of this council shall be officials from State Government, IT professionals and person nominated by Chief Minister, Government of Bihar.
- **State e-Governance Project Apex Committee** - SeGP Apex Committee constituted under the chair of Chief Secretary for Strategic directions and decisions regarding IT in the state. All departments shall be required to submit comprehensive reports on the execution of IT projects to this Committee on regular basis. Members of this Apex Committee are as follows:
 - Chief Secretary– Chairman
 - Development Commissioner – Deputy Chairman
 - Principal Secretary Finance – Member
 - Principal Secretary Personnel Dept – Member
 - Principal Secretary Planning & Development – Member
 - Principal Secretary IT - Member
 - SIO, NIC – Member
 - Technical Advisors – Member

5.3.7 OTHER GOVERNMENT INITIATIVES

- Government of Bihar has amended the rules and has made computer skills compulsory for promotion & upgrade in higher scale for Class I to III cadres in State.
- Government of Bihar would endeavor to develop High standard Incubation centre with state-of-the-art computation facilities and services of experts and facilitate the same on

cost basis to the prospective IT entrepreneurs to begin with. This facility will be developed by State on its own or through PPP initiatives.

- Government of Bihar recognizes the importance of using digital certificates for ensuring the legal validity of e-transactions.
- Government of Bihar recognizes the importance of the digitization of public library and record room data of almost all the departments; this will be initiated in a phased manner based on criticality & priority of data. All the departmental data such as employee records, citizen specific records, financial details, etc. would be digitized over a phase manner completing the whole activity by 2016.
- DIT will contribute Rs.10 Lakhs per annum for creation of Library and making available material on trends in technology, market intelligence, research reports and analysis etc.
- Government of Bihar will take effective steps to create “Brand Equity” for state by participating in National and International Seminar.
- A particular day will be earmarked as the IT day for Bihar, when DIT, GoB will organize Seminar, conference / conclave etc. to invite IT visionaries to guide the state and future road map for Growth.
- Government of Bihar will constitute a CM Task Force comprising noted non-political leaders from IT industries comprising noted figures.
- Government of Bihar will target paperless office by 2016.

5.4 ICT POLICY FOR CITIZENS

- Govt. of Bihar is setting up Common Services Centers in all 8,463 panchayats across the State.
- A dedicated state portal would be created to provide information about all the state departments, their schemes, orders, circulars, tenders, notices, grievance handling, results publication, etc.
- Govt. of Bihar is keen to promote e-Literacy amongst the masses through appropriate citizen e-Literacy programmes.
- Government will promote the use of National language Hindi & Urdu across all software and websites, so as to facilitate the citizens to use these systems effectively.
- The Government of Bihar shall endeavor to launch pilot projects for use of IT in RD. Areas like development marketing and popularization of IT for rural applications shall be promoted.
- Government will develop a very comprehensive Geographical Information System (GIS) in which all available infrastructure of the state shall be exhaustively mapped and shall be integrated with MIS data thereof. The GIS system will be used as a Decision Support system by various Departments for long term planning of the development of the major infrastructure and social sector related development activities of the State.

- The GIS data shall be extensively integrated with various remote sensing applications/ activities by taking up appropriate state of art technology and usage of satellite based services.
- Government will develop the following systems to aid farmers:
 - Database on different Agro-climatic variables like rainfall, water availability and soil nutrient status.
 - Database Management Systems and Management Information System for land use management, agriculture operation, public health status.
 - Providing Multimedia facilities for educational and training activities in the area of agriculture extension and other awareness generation programs.
- The Government of Bihar shall endeavor to organize IT 'Fairs' in various parts of the state to demonstrate the benefits of IT to the people within the state.
- The State Government would pursue with BSNL an aggressive plan to connect rural areas under the National Broadband Plan which envisages in its Phase-I to connect those locations through ADSL where BSNL has its Exchange in and around the block. In Phase II, Wireless Towers would be used by BSNL to cover the rural areas. In Phase III, Pre-Wi-MAX/Wi-Max scenario would be leveraged to cover the rural areas.
- A Database of all the IT literate students will be prepared in consultations with the IT institutions, Universities, Colleges and IT companies. This database will be shared with the IT companies set up in the state to facilitate the employment of eligible candidate. This policy envisions providing employment opportunities to 1,00,000 employable youths in the IT sector in the next three years. It is expected that 3,00,000 more indirect jobs will be created in due process in next three years

6. IMPROVING BUSINESS AND SOCIAL INFRASTRUCTURE

Adequate availability of infrastructure is another essential requisite for facilitating business activity. Overcoming this deficit in Bihar requires significant investments in basic, business as well as social infrastructure.

From the perspective of the IT/ITES/EHM units, the core elements of infrastructure including a robust telecommunications back-bone, world-class office space, warehouses, container depots supported by regular / uninterrupted supply of basic utilities (power, water, etc.) and Multi-Modal connectivity (Air/Rail/Road etc) will be developed. The key initiatives planned in this regard are as follows:-

6.1 AIRLINE CONNECTIVITY

Airline connectivity is essential for the State to be a destination of IT/ITES/EHM units. State would encourage domestic airlines to enhance connectivity of Patna and Gaya with major national and selected international destinations. Investment would be made for upgrading the facilities at these airports. Air Taxi service between major towns of the state by private operators would be encouraged.

6.2 ROAD CONNECTIVITY

Access roads will be built from Airports and other points of commute such as Railway Stations to the designated IT parks, which minimize travel time. Value added services and international standard amenities such as logistics, hotel and restaurant, petrol pumps, retail, emergency services, etc. to support and enhance road networks would be developed.

6.3 POWER SUPPLY

New power projects would be promoted both in public and private sector to meet additional demand forecasts of the IT/ITES/EHM Units. IT/ITES/EHM Units which would like to set up captive power plants would be encouraged and incentives would be offered to them.

6.4 RELIABLE COMMUNICATION LINKS

The State Government would encourage presence of multiple telecom service providers offering high-speed telecommunication links with several levels of built in redundancy for all IT Parks/ Industries. Permission to set up base stations and telecommunication network equipment in earmarked areas would also be given on priority. Single window interface would be established for securing Right of way for laying optic fibers and erecting towers.

6.5 RESIDENTIAL REAL ESTATE

Private developers would be encouraged and facilitated to build quality housing complexes with open spaces, playground and parking. Residential Units will be created around IT Parks/Industries to house the employees and their families.

6.6 RETAIL AND ENTERTAINMENT HUBS

Setting up of large departmental stores and malls, 5 and 7 star hotels, cafes, multi-cuisine restaurants, modern cinema halls and multiplexes would be encouraged. These facilities would be needed to provide recreational amenities the employees of IT/ITES/EHM Units

7. IMPORTANT INFORMATION

- Benefits under this policy will be available to only those who have not availed such benefits under any other policy.
- All concerned Depts. will issue relevant notifications immediately after this policy in any case not later than 1 month after the announcement of the policy.
- Mid-term review based on wide consultations will be undertaken for any course corrections
- All doubts/disputes arising out of any interpretation of any provision of this policy will be decided by the committee headed by Principal Secretary, DIT.

- Special emphasis will be laid on simplification of rules & procedures for availing any facility under this policy and transparent systems will be introduced.
- On verification, if information furnished in any claim for Exemption / Reimbursement / Concession etc. found incorrect then claimed amount with penalty will be recovered by Govt. of Bihar under **Public Demand Recovery Act**.

बिहार सरकार

**सूचना एवं संचार
प्रौद्योगिकी नीति 2011**

विषय सूची

1. प्रस्तावना	3
2. दृष्टि	3
3. उद्देश्य.....	3
4. परिभाषाएं :.....	4
5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति का वर्गीकरण:.....	4
5.1 उद्योग के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति.....	5
5.1.1 उत्पादक से पूर्व के लिए सुविधाएं ।.....	5
5.1.2 उत्पादन के बाद मिलने वाली सुविधाएं	5
5.2 शिक्षा हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति	12
5.2.1 विद्यालय स्तर पर आई.सी.टी	12
5.2.2 महाविद्यालय स्तर पर आई.सी.टी	12
5.2.3 बिहार नॉलेज सोसायटी.....	13
5.2.4 आई.टी. के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना	13
5.2.5 अन्य प्रमुख क्षेत्र.....	13
5.3 सरकारी सेवायें हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति	14
5.3.1 शासकीय ढांचा.....	14
5.3.2 ई.सरकार अंतर्कार्यकारी ढांचा और खुले मानक.....	14
5.3.3 क्षमता निर्माण एवं परिवर्तन प्रबंधन	15
5.3.4 एम-शासन अंगीकरण.....	15
5.3.5 हरित आई.टी को बढ़ावा.....	15
5.3.6 ई-शासन की निगरानी	16
5.3.7 सरकार की अन्य पहल	17
5.4 नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति	18
6. व्यापार एवं सामाजिक आधारभूत संरचना सुधार.....	19
6.1 वायुमार्ग संपर्क.....	19
6.2 सड़क संपर्क	19
6.3 विद्युत आपूर्ति	19
6.4 विश्वसनीय संप्रेषण लिंक	20
6.5 घरेलू रियेल इस्टेट	20
6.6 रिटेल एवं मनोरंजन हेतु केन्द्र	20
7. महत्वपूर्ण सूचनाएं	20

1. प्रस्तावना

विगत दशक में सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर और संबंधित सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता सर्वविदित है। वर्तमान में ऑफशोर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व बाज़ार का 65 प्रतिशत एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा के क्षेत्र में विश्व बाज़ार के 46 प्रतिशत हिस्से पर भारत का आधिपत्य है। इस क्षेत्र में प्रगति की वजह से रोज़गार के कई अवसर उत्पन्न हुए हैं।

हालाँकि उपरोक्त विकास के प्रभाव अधिकांशतः कुछ राज्यों के गिने चुने आई.टी. हब तक ही सीमित हैं। बिहार इस विकास से अधिकांशतः वंचित रहा है। राज्य सरकार की यह मंशा है कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास और सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योगों में निवेश को प्रोत्साहन द्वारा सुशासन उपलब्ध कराई जाए जिसके फलस्वरूप बिहार के लोग अपने द्वार पर ही बेहतर नागरिक सुविधाओं तथा आर्थिक समृद्धि का लाभ उठा सकें।

2. दृष्टि

- राज्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के विकास एवं व्यापक प्रसार के लिए प्रयासरत रहना।
- ऐसी असमानांतर सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना, जो राज्य के हर एक नागरिक तक पहुंचती हो, का निर्माण कर ग्रामीण एवं शहरी जन मानस के बीच की डिजिटल दूरी को पाटना।
- बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योगों में निवेश हेतु अगला मुख्य केन्द्र बनाना।
- सूचना प्रौद्योगिकी सुविधाओं के क्षेत्र में बिहार को अग्रणी राज्य बनाना।

3. उद्देश्य

राज्य के आइ.टी. विज़न 2015 की दृष्टि को पूरा करने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य अपनाए जाने की आवश्यकता है।

1. **मानव एवं बौद्धिक पूँजी संसाधन:** विद्यालय स्तर पर कम्प्यूटर साक्षरता को प्रोत्साहित कर विद्यार्थियों को प्रतिभाशाली बनाना एवं रोज़गार के लायक युवाओं को समुचित प्रशिक्षण देकर सूचना प्रौद्योगिकी में सक्षम बनाना।
2. **रोज़गार:** सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सहायी कंपनियों को राज्य में पूँजी निवेश के लिए आकर्षित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार उत्पन्न करना।
3. **सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना:** राज्य में विश्व स्तरीय सूचना प्रौद्योगिकी आधारभूत संरचना विकसित करना।
4. **ई-शासन:** एन. ई. जी. पी. एवं राज्य सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत ई-शासन हेतु उठाए जाने वाले कदमों को प्रोत्साहन देकर अधिकतम सरकारी विभागों एवं नागरिक सेवाओं को पारस्परिक ऑनलाइन मोड में लाना।

5. **निवेश:** राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता को गति देने हेतु निजी उद्योगों को सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योग में निवेश के लिए बढ़ावा देना।
6. **माहौल:** राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योगों के लिए सरकार द्वारा संभावनाएँ बढ़ा कर व्यवसाय हेतु बेहतर माहौल देना।
7. **कानून:** सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योगों के बेहतर प्रशासन हेतु समुचित कानूनी ढांचा तैयार करना एवं सूचना प्रौद्योगिकी, बौद्धिक सम्पदा अधिकार, पेटेंट और ट्रेडमार्क के अनुचित इस्तेमाल को रोकना।

उद्देश्यों को अनुलग्नक- ए में विस्तार से वर्णित किया गया है।

4. परिभाषाएं :

आई.टी. सेवायें—आई.टी. सॉफ्टवेयर और आई.टी. उत्पाद के माध्यम से दी जाने वाली सूचना प्रौद्योगिकी सेवायें।

आई.टी. के माध्यम से दी जाने वाली सेवायें—सूचना प्रौद्योगिक द्वारा दूरसंचार नेटवर्क और इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न व्यवसायों, मेडिकल ट्रिस्कपसल, विधि डाटा प्रोसेसिंग, डिजिटल डाटा संग्रहण, एनिमिशन, खातों एवं वित्तीय मामलों से संबंधित कॉल सेंटर के संचालन से संबंधित सेवायें।

आई.टी. उद्योग—सूचना प्रौद्योगिक के हार्डवेयर, सूचना प्रौद्योगिक द्वारा दी जाने वाली सेवायें/ विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग/ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग/परामर्श से संबंधित व्यवसाय/ज्ञान पर आधारित उद्योग।

एचएम इकाई का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर विनिर्माण उद्योग से है।

आई.टी. इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी—सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के लिए आधारभूत संरचना, सूचना प्रौद्योगिक उद्योग के लिए ऑफिस बनाने के कंपनी।

संस्थानों—सूचना प्रौद्योगिक के क्षेत्र में विशेष परिष्करण परीक्षण, उद्यमशिलता विकास संस्थान, incubation संस्थान एवं ज्ञान उद्योग से जुड़े हुए परिक्षण संस्थानों से है।

5. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति का वर्गीकरण:

बेहतर समझ एवं प्रकाश के उद्देश्य से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ❖ उद्योगों के लिए सूचना एवं संचार प्राद्योगिकी नीति
- ❖ शिक्षा के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति
- ❖ सरकार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति
- ❖ नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

5.1 उद्योग के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

सभी आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 में दिये गये प्रोत्साहन के लिए योग्य होंगे ।

511 स्टांपसे पूर्व के लिए सुविधाएं ।

5111 पंजीकरण/स्टैम्प शुल्क में छूट

- (क) वैसे आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाई जो औद्योगिक क्षेत्र/शेड/आईटी पार्क में या इनसे बाहर स्थापित होगी, उनको स्टैम्प शुल्क एवं भूमि के पट्टा/विक्रय/हस्तांतरण में लगने वाली पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी ।
- (ख) यह सुविधा केवल प्रथमवार में ही मिलेगी तथा बाद के भूमि के पट्टा/विक्रय/हस्तांतरण के लिए नहीं मिलेगी । यह सुविधा सिर्फ नई इकाईयों के लिए वैध होगी ।
- (ग) वैसे इकाईयों जो पहले से स्थापित हैं, अपनी उत्पादन क्षमता में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करती है तथा जिन्होंने पहले से स्टैम्प शुल्क/पंजीकरण शुल्क में छूट की सुविधा नहीं ली है, उन्हें भी यह सुविधा विस्तार के लिए इस्तेमाल की जानी वाली भूमि पर लागू होगी ।
- (घ) वैसे इकाईयों जो इस छूट की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाती हैं, उनको यह सुविधा उत्पादन के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगी ।

512 स्टांप के बाद मिलने वाली सुविधाएं

इस इकाई को उत्पादन प्रारंभ होने के बाद प्रतिपूर्ति के रूप में मिलने वाली विभिन्न सुविधाओं जैसे कि परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए प्रोत्साहन, भूमि क्रय के लिए प्रोत्साहन, तकनीकी ज्ञान के लिए वित्तीय सहायता, पूंजी सब्सिडी इत्यादि की अधिकतम सीमा 600 लाख होगी (यह स्वयं के इस्तेमाल के लिए किए गए विद्युत उत्पादन पर दिये गये प्रोत्साहन से अलग होगी) ।

5.1.2.1 परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्रोत्साहन

- (क) आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत खर्च, जिसकी अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये होगी, प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा, वशर्ते यह रिपोर्ट किसी आईटी विभाग द्वारा मान्य कंपनी ने बनाई हो ।
- (ख) वैसे परियोजना रिपोर्ट जो कार्बन क्रेडिट लेने के लिए हो, उसको बनाने में आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत (अधिकतम सीमा 50 लाख) प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा, वशर्ते कार्बन क्रेडिट मिले ।

5.1.2.2 तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता

उद्योगपति जो किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की रिसर्च केन्द्र/प्रयोगशाला अथवा संस्थान से अपनी कंपनी को विस्तारित करने के लिए तकनीकी ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको शुल्क में किए गए खर्च का 30 प्रतिशत (अधिकतम 15 लाख रुपये तक) प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा ।

5.1.2.3 गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रोत्साहन

(क) आई.एस.आई. (अथवा सामान राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय संस्थान) से गुणवत्ता प्रमाणीकरण में आने वाली शुल्क पर व्यय प्रतिपूर्ति के रूप में वापस किया जाएगा, परवर्ती धारार्यों के अनुसार ।

(ख) यह लाभ आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाई केवल एक बार ही प्राप्त कर सकेंगी ।

(ग) सरकार व्यय का 75 प्रतिशत वापस करेंगी ।

(i) यदि सॉफ्टवेयर कंपनी आई.एस.ओ./एस.ई.आई. सी.एम.एम लेवल-2 और उपर/एस.टी.ओ.टी. गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करती है ।

(ii) यदि आईटीईएस कंपनी सी.ओ.पी.सी. (कस्टमर ऑपरेशन परफोरमेंस सेंटर) अथवा eSCM (ई-सोर्सिंग कैपेबिलिटी मॉडल) जैसे गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करती है ।

(iii) यदि ईएचएम इकाई आई.एस.आई./आई.एस.ओ./बी.एस. अथवा अन्य गुणवत्ता प्रमाणीकरण, जो अंतराष्ट्रीय एजेंसी जैसे की BVQI/DNV/LRQA/TOV द्वारा मान्य है तथा STQC प्राप्त करती है ।

5.1.2.4 भूमि के लिए मिलने वाले प्रोत्साहन

(क) सभी आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अभिकरण/निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क/फूड पार्क/कृषि निर्यात जोन/आईटी पार्क में आवंटित भूमि के मूल्य पर निम्न प्रकार से प्रोत्साहन के लिए हकदारी होंगी :-

उद्योग	अनुदान
लघु/छोटे इकाई (निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर)	50 प्रतिशत या 15 लाख (अधिकतम)
सभी बड़े/मझौले/मेगा इकाईयों (निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर)	25 प्रतिशत या 30 लाख (अधिकतम)

(ख) बिहार सरकार जहां भी संभव होगा, वहां तक बड़ी आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों के लिए उपयुक्त सरकारी जमीन की पहचान कर आरक्षित करेंगी ।

5.1.2.5 एम.एम.सी./न्यूनतम बेस उर्जा प्रभार/मांग प्रभार में छूट

मौजूदा तथा नई आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों को ए.एम.सी./न्यूनतम बेस उर्जा प्रभार/मांग प्रभार में नई सूचना एवं संचार नीति के अंतर्गत सूचना एवं संचार नीति को घोषणा की तिथि से छूट मिलेगी । यह सुविधा अगले पांच साल तक वैध होगी ।

5.1.2.6 कैप्टिव विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट तथा मशीन पर प्रोत्साहन/अनुदान

कैप्टिव विद्युत उत्पादन/डीजल जेनरेटर सेट/सोलर पॉवर के प्लांट तथा मशीन पर मिलने वाले प्रोत्साहन/अनुदान निम्न प्रकार से होंगे:-

- (क) कैप्टिव विद्युत उत्पादन/डीजल जेनरेटर सेट को स्थापित करने में लगने वाले प्लांट तथा मशीन के लिए 50 प्रतिशत अनुदान योग्य होगी । इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी ।
- (ख) मौजूदा इकाईयां भी कंडिका (क) के अनुरूप कैप्टिव उत्पादन/डीजल जेनरेटर सेट पर अनुदान के योग्य होंगी । यह सुविधा सूचना एवं संचार नीति, 2011 के लागू होने के उपरांत 5 वर्षों तक मिलेगी ।
- (ग) यह अनुदान औद्योगिक क्षेत्र/इंडस्ट्रीज के समूह को बिजली आपूर्ति के उद्देश्य से निर्मित स्पेशल पर्पस व्हीकल को भी मिलेगी, वशर्तें स्पेशल पर्पस व्हीकल के ज्यादातर सदस्य उस औद्योगिक क्षेत्र/समूह से हो ।
- (घ) गैर पारंपरिक स्रोत से उर्जा उत्पादन के लिए प्लांट तथा मशीन स्थापित करने में होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत अनुदान के रूप में मिलेगा (कोई अधिकतम सीमा नहीं)।

5.1.2.7 पूंजी निवेश पर सब्सिडी

- (क) नई इकाईयों को हार्डवेयर तथा आईटी उपकरण, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क उपकरण पर होने वाले पूंजी निवेश का 20 प्रतिशत राशि प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा (अधिकतम सीमा 75 लाख रुपये) यह नीति के लागू होने के बाद एवं उत्पादन शुरू होने के बाद ही मिलेगा ।

5.1.2.8 प्रवेश-कर पर लाभ

उत्पादन के बाद वाली स्थिति में, नई आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों को उत्पादन-कर प्रवेश-कर के रूप में समायोजित करने की स्थिति में, प्रवेश-कर पर दी गई राशि, वैट की राशि की 80 प्रतिशत प्रतिपूर्ति में शामिल होगी ।

5.1.2.9 केन्द्रोय विक्रय-कर

पंजीकृत एमएसएमई/आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों को बिहार राज्य सरकार को 1 प्रतिशत सी.एस.टी. ही देना होगा ।

नोट:—GST व्यवस्था लागू होने पर उपरोक्त सुविधाएँ उस व्यवस्था के तहत समान रूप से देय होंगी ।

5.1.2.10 वैट की प्रतिपूर्ति

- (क) उद्योगों को पासबुक द्वारा सुविधा दी जाएगी, जिसके माध्यम से आईटी/आईटीईएस/ईएचएम उद्योगों द्वारा दिये जा रहे वैट की संबंधित जानकारी वाणिज्य-कर विभाग द्वारा रखी तथा सत्यापित की जाएगी ।
- (ख) वाणिज्य-कर उपयुक्त सत्यापन के उपरांत प्रोत्साहन राशि देने के लिए अधिकृत विभाग होगा ।
- (ग) नये उद्योग दस वर्षों तक राज्य सरकार में जमा होने वाले 80 प्रतिशत वैट राशि के प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे ।
- (घ) प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा पूंजी निवेश का 300 प्रतिशत होगी ।
- (ङ) स्थापित आईटी/आईटीईएस/ईएचएम उद्योग वैट/विलासिता कर के 25 प्रतिशत के प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे । जो कि पाँच वर्षों के लिए अनुमान्य होगा ।

5.1.2.11 विद्युत शुल्क, रूपांतरण शुल्क एवं विलासिता कर में छूट

नये आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाई वाणिज्यिक उत्पादन में आने के बाद निम्नलिखित लाभ के लिए हकदार होंगे:—

- (क) विलासिता कर में 100 प्रतिशत छूट के हकदार 7 वर्षों तक के लिए होंगे ।
- (ख) विद्युत शुल्क में 100 प्रतिशत छूट के हकदार 7 वर्षों के लिए होंगे ।
- (ग) भूमि रूपांतरण शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट होगी ।

5.1.2.12 रोजगार सृजन अनुदान

सूचना एवं संचार प्रावधिकी नीति 2011 के क्रियान्वयन के बाद आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों द्वारा 100 व्यक्तियों के नियोजन के बाद आईटी क्षेत्र में स्थापित उद्योग प्रोत्साहन राशि के हकदार हो जाएंगे । प्रोत्साहन राशि नये नियोजन के 1 वर्षों के ई.पी.एफ. राशि के बराबर होगा ।

5.1.2.13 एस.सी./एस.टी./महिला/भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति

- (क) इसके श्रेणी के उद्योगपति 5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान/शुल्क से मुक्त/आंशिक सहायता के हकदार होंगे । इस सुविधा का हकदार व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह होगा, जो कि इस श्रेणी के मापदण्ड को पूरा करता हो ।
- (ख) एस.सी./एस.टी./महिला/भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति द्वारा लगाया जाने वाला आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों का कारोबार प्रत्येक साल 30 लाख तक होने पर वैट दिये जाने वाली 100 प्रतिशत की राशि लौटा दी जाएगी ।

5.1.2.14 उद्यय निधि

राज्य सरकार अभिनव आईटी/आईटीईएस/ईएचएम उद्यमियों को बढ़ाया देने के लिए 100 करोड़ रुपये का उद्यय निधि बनायेगी ।

5.1.2.15 विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए इकाइयों को सुविधाएं

स्थापित आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए उपरोक्त सुविधाएं दी जाएगी ।

5.1.2.16 अभिनव आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों/परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन

अभिनव एवं स्वदेशी आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा । ऐसे परियोजना इकाइयों को परिभाषित करने के लिए ईएचएम इकाइयों में 100 नागरिकों, आईटी परियोजना में 500 नागरिकों, आईटीईएस में 1000 नागरिकों को नौकरी देनी होगी अथवा 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक की पूंजी निवेश करना होगा ।

निम्न अतिरिक्त विशेष पैकेज मिलेगा:-

- पूंजी अनुवृत्ति सीमा 20 प्रतिशत होगी, परंतु राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दी जाएगी

5.1.2.17 पब्लिक सेक्टर और राज्य के आपूर्तिकर्ताओं के लिए मूल्य वरीयता

(क) बिहार के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु आईटी/आईटीईएस (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) इकाइयों को, जो बिहार में स्थापित एवं पंजीकृत है, अधिकतम 10 प्रतिशत की मूल्य तरजीह दी जाएगी, अपेक्षाकृत उन आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों से जो बिहार के बाहर स्थापित एवं पंजीकृत है ।

(ख) सामान की गुणवत्ता में राज्य में स्थापित उद्योगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी । सरकार में सामान का आपूर्ति और फार्मों के सही समय पर नहीं करने वाले ऐसे उद्योगों को ब्लैक लिस्ट कर के वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ।

5.1.2.18 सिंगल विण्डों प्रणाली का स्थापना

(क) राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड सभी लंबित मंजूरीयों के निष्पादन एवं राज्य में नई आई.टी. ईकाई स्थापित करने एवं आदेश देने हेतु सिंगल विण्डो एजेन्सी के रूप में काम करेगा ।

(ख) सिंगल विण्डो प्रणाली को मजबूती देने के लिए एस्कॉर्ट सेवा की शुरुआत की जाएगी जो उद्यमियों को एस.पी. आई. बी. अनुमोदन के पूर्व एवं उसके बाद की गतिविधियों में सहायता करेगा। उद्यमियों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन क्लियरेंस एवं समर्थन नेटवर्क का भी गठन किया जाएगा जो सभी संबंधित विभागों और संगठनों को आपस में जोड़ेंगे ।

(ग) उपरोक्त को एक केन्द्रियकृत हेल्पडेस्क एवं कॉल सेंटर द्वारा मदद दी जाएगी, जिनमें समुचित संख्या में प्रशिक्षित कर्मी होंगे जो चौबीसों घण्टे एवं सातों दिन के आधार पर लोगों के फोन कॉल एवं ई-मेल का उत्तर देंगे।

5.1.2.19 वैधानिक प्रावधानों से संबंधित विशेष प्रोत्साहन

- स्वतः प्रमाणीकरण का एक प्रावधान होगा तथा सॉफ्टवेयर इकाइयों को निम्नलिखित से छूट दी जाएगी।
 - ✓ प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही प्रभावी होगा।
 - ✓ वैधानिक बिजली कटौती
 - ✓ क्षेत्रों के संदर्भ में जोनिंग विनियमन
- निम्नलिखित छूट विभिन्न कानूनों के दायरे में आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों को मिलेगी।
 - ✓ आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों बिहार Shop & Establishment Act 1953 के तहत Schedule-1 में जोड़ दी जाएगी तथा section 7, 8, 12(1) में मिलने वाली छूट के लिए हकदार होंगी। इससे इकाइयों को व्यापार तथा साप्ताहिक अवकाश के प्रावधान में छूट मिलेगी।
 - ✓ Factories Act, 1948 के Section 66 के अंतर्गत महिला कर्मचारियों के काम करने के घंटों में छूट रहेगी। इसके अनुसार सभी आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों में महिलाएं सुबह 6 से शाम 7 बजे की बजाय सुबह 5 से रात 10 बजे तक काम कर सकेंगी।
 - ✓ उद्योग विभाग आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों को औद्योगिक क्षेत्रों में प्राथमिकता देगा।
 - ✓ आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाइयों को निम्न कानूनों के तहत रजिस्टर तथा फार्म रखने के लिए स्वतः प्रमाण पत्र देने की अनुमति होगी :-
 - मजदूरी भुगतान अधिनियम
 - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम
 - वर्कर भुगतान अधिनियम
 - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम
 - ग्रेच्युटी एक्ट का भुगतान
 - मातृत्व अवकाश अधिनियम
 - समान पारिश्रमिक अधिनियम
 - जल एवं प्रदूषण अधिनियम

- रोजगार विनियम अधिनियम
 - कंपनी अधिनियम
 - कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम
 - संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम
- ✓ आईटी/आईटीईएस कम्पनियाँ प्रदूषण कंट्रोल नियम से बाहर होगी जबकि ईएचएम को प्रदूषण कंट्रोल नियम का अनुगमन करना होगा ।
 - ✓ आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाई को श्रम कानून के प्रावधानों में छुट दी जाएगी तथा वे प्रतिदिन तीन पालियों में 24 x 7 कार्य कर सकेंगे ।

5120अग्रप्रस्ताव/सम

- सरकार कंप्यूटर उपकरण, स्पेयर पार्ट्स, कंप्यूटर परिधीय उपकरण, अन्य कनेक्टिविटी उपकरण, नेटवर्क केबल इत्यादि को आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों की मदद के लिए कॉमन सेल्स एक्ट में रखेंगी, जो समान फ्लोर दर से कम होगी ।
- उभरते आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयों (जो बिहार में पंजीकृत हैं तथा कारोबार 10 करोड़ रूपये से ज्यादा नहीं हैं) अंतराष्ट्रीय events में शामिल होती हैं तो सूचना प्रावैधिकी विभाग उनको स्टॉल के किराये में होने वाले व्यय का 30 प्रतिशत तक सब्सिडी देगा ।
- आईटी/आईटीईएस इकाईयों जो 5 के.वि.ए. तक की विद्युत क्षमता इसतेमाल करती हैं, उसको बिना किसी स्थान प्रतिबंध के अपनी इकाई स्थापित करने की इजाजत होगी ।
- **साइबर अपराध एवं साइबर अधिनियम**— सरकार राज्य में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा कंपनियों के संचालन हेतु उच्च कोटि की सुरक्षा प्रदान करेगी। डाटा सुरक्षा का उल्लंघन, दस्तावेजों की गोपनीयता का उल्लंघन एवं इकरारनामा को घोषित न किये जाने जैसे अपराधों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए सरकार पटना में साइबर अपराध पता लगाने हेतु एक सेल का गठन करेगी।
- **विशेष पुरस्कार**— आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयाँ जो भिन्न रूप से योग्य व्यक्तियों को पर्याप्त रोजगार देती हैं, उनको विशेष पुरस्कार दिया जाएगा ।
- आईटी/आईटीईएस/ईएचएम इकाईयाँ को समुदाय तथा सामाजिक विकास के साथ बांधेगी तथा निवेश की संभावनाएं तलाशेगी ।
- बिहार सरकार संभावित निवेशकों को ढूँढेगी तथा बिहार का मूल्य प्रस्ताव उनके व्यापार के संदर्भ में रखेगी ।

5.2 शिक्षा हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

521 विद्यालय स्तर पर आईसीटी

- सर्व शिक्षा अभियान के तहत कक्षा 5 से 6 तक के बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी । [प्रायः अभी 619 माध्यमिक स्कूलों में इसका फायदा उठाया जा रहा है । 3 से 5 चरणबद्ध सालों में इसे कुल 1000 स्कूलों में बढ़ाया जाएगा ।
- बिहार सरकार का ICT @ स्कूल के तत्वाधान में प्रत्येक ज़िले में कम्प्यूटर साक्षरता देने हेतु 5 आइ.टी. प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने की योजना है । इनमें बेरोज़गार युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु अल्प अवधि का सर्टिफिकेट कोर्स भी संचालित किया जाएगा । यह आइ.टी. प्रशिक्षण पब्लिक प्राइवेट साझेदारी प्रणाली में होगा । ये प्रशिक्षण केन्द्र सरकार से कई छूट प्राप्त कर सकेंगे । सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 2013 तक आईसीटी/स्कूल परियोजना के माध्यम से कवर किया जाएगा ।
- राज्य सरकार हायर सेकेंडरी विद्यालयों के 10 प्रतिशत शिक्षकों को गहन कम्प्यूटर प्रशिक्षण देगी तथा अन्य सभी विद्यालयों के 2-5 शिक्षकों को प्रशिक्षित करेगी ।
- उच्च माध्यमिक स्तर से आरंभ कर शिक्षा के सभी क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा । परियोजना प्रबंधन, परियोजना विकास एवं सॉफ्टवेयर कौशल हेतु विशेष पाठ्यक्रम चलाया जाएगा ।
- विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में सॉफ्ट स्किल्स और व्यक्तित्व विकास पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । नया पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु सरकार ज्ञान साझेदारों का पता लगाएगी ।
- सरकारी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में आईटी विषयों में प्रवेश हेतु लड़कियों तथा भिन्न रूप से सक्षम लोगों को विशेष तरजीह दी जाएगी । बिहार सरकार विभिन्न प्रकार के सक्षम लोगों के लिए विशेष बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करने पर विचार करेंगी ।

522 महाविद्यालय स्तर पर आईसीटी

- प्रौद्योगिकी वर्द्धक लर्निंग (NTPEL) राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 400 ई-पाठ्यक्रम और आई.आई.टी. और आई.आई.एस. बंगलोर द्वारा पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा । इस सामग्री को इंटरैक्टिव आभासी कक्षा के तहत व्याख्यान और IGB कनेक्टिविटी के माध्यम से विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों तक सूचना एवं संचार द्वारा पहुँचा जा सकता है ।
- विश्वविद्यालयों और संघटक कॉलेजों में भी कंप्यूटर प्रायोगशाला स्थापित किया जा रहा है । आज के तिथि में मानव संसाधन विकास विभाग (HRD) द्वारा 14 विश्वविद्यालय को चिन्हित

किया गया है, जिन्हें अगले फेज में लिया जाएगा । बाकी शेष कॉलेजों या विश्वविद्यालयों को 2015 तक NME-ICT से जोड़ा जाएगा ।

- सरकार आई.सी.टी. में विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए शिक्षा संस्थान तथा उद्योग में साझेदारी को बढ़ावा देगी ।
- सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विद्वानों और शोधकर्ताओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी । राज्य के छात्रों को Doctoral और Post Doctoral Research के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ।

523 बिहार नॉलेजसेयटी

ज्ञान आधारित समाज की स्थापना सूचना प्रौद्योगिक और अन्य तकनीकी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए बिहार नॉलेज सोसायटी की स्थापना की जायेगी । बिहार नॉलेज सोसायटी द्वारा राज्य सरकार 5 नये सूचना प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जिलों में खोलेगी । सूचना प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कंप्यूटर साक्षरता और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अल्पावधि पाठ्यक्रम (6 माह) का संचालन बेरोजगार युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु पीपीपी मोड के माध्यम से किया जायेगा । इन प्रशिक्षण केन्द्रों को सरकार द्वारा अनुदान/रियायते दी जाएगी ।

524 उर्दू के लिए उत्कृष्ट केन्द्रों के स्थापना

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट केन्द्रों की स्थापना के लिए एक टास्क फोर्स की स्थापना राज्य में स्थापित तकनीकी संस्थानों को उत्कृष्ट केन्द्रों के तौर पर स्थापित करने के लिए Technical Education Quality Improvement Program के मदद से की जायेगी । प्रत्येक उत्कृष्ट केन्द्र द्वारा नजदीकी आई.टी.आई. और Diploma कॉलेज को स्थापित किया जाएगा । 46 कॉलेजों का चयन उत्कृष्ट केन्द्रों के स्थापना के लिए किया जायेगा ।

525 अल्पभाषी क्षेत्र

- जर्मन, फ्रेंच, स्पेनीस, जपेनीज़ एवं अरबीक भाषा के प्रशिक्षण देने के लिए पर्याप्त महौल तैयार किया जाएगा । विदेशी भाषा के प्रशिक्षण के माध्यम से इन भाषा वाले देशों में रोजगार के अवसर प्रदान कराये जायेगे ।
- राज्य सरकार द्वारा आई.टी. कोर्स/ट्रेनिंग मोड्युल वाणिज्य एवं अन्य क्षेत्रों में स्नातक के छात्रों के लिए सूचना प्रौद्योगिक के क्षेत्र में कौशल प्रदान करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जाएगा ।
- राज्य सरकार द्वारा मानव संसाधन के प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, मेडिकल Transcription के जुड़े हुए ज्ञान के क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की जाएगी ।

- राज्य सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करेगी जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्र विकास के लिए कार्य करेगी।
- राज्य सरकार द्वारा EDI और SME ज्ञान केन्द्र का स्थापना ज्ञान कौशल के विकास के लिए किया जायेगा।

5.3 सरकारो सेवायें हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

531 शासकीय ढँच

राज्य सरकार की यह मंशा है कि सचिवालय को ग्रामीण स्तर तक जोड़ा जाए। बी.एस.वैन.का इस्तेमाल विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा नागरिक सुविधा प्रदान करने में किया जाएगा।

एन.ई.जी.पी. कोर आधारभूत संरचना के तहत बी. एस.वैन का लक्ष्य राज्य एवं ज़िला मुख्यालय के बीच 4 एम.बी. पी. एस. तथा ज़िला एवं प्रखण्ड मुख्यालय के बीच 2 एम.बी. पी. एस. क्षैतिज कनेक्शन देने का है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, ने राज्य के विभागों के अधिक बैण्डविथ की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए हैं, और यह सभी विभागीय कार्यालयों को क्षैतिज कनेक्टिविटी के द्वारा निकटवर्ती बी.एस.वैन. पी.ओ.पी. से जोड़ने हेतु भी कदम उठा रही है। बी.एस. वैन. के द्वारा सभी प्रखंडों को ज़िलों तक भी जोड़ा जाएगा। इसी प्रकार सभी निदेशालयों को भी उनके संबंधित कार्यालयों से इसी तरह की संप्रेषण सुविधा दी जाएगी।

राज्य सरकार द्वारा उच्च क्षमता, विश्वसनीय एवं सुरक्षित सूचना प्रावैधिकी आधारभूत संरचना की स्थापना की जायेगी। इस दिशा में स्टेट डाटा सेन्टर/स्टेट पोर्टल एवं एस.एस.डी.जी. का कार्य प्रारम्भ भी हो चुका है।

सभी विभागों की ये योजना है कि सभी सरकारी आदेश, योजनाओं, फार्मों निविदा इत्यादि को सामान्य वेब पोर्टल पर रखा जाए। सी.एस.सी. नागरिकों को विभिन्न विभागों के दस्तावेजों को ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा दिलाएगा।

532 ईसकार अंतर्गामी ढँच और खुलेमन्त्र

सूचना प्रावैधिकी विभाग राज्य में आई.टी. मानकों को समान रूप से विकसित और लागू करने के लिये कदम उठायेगी। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ये मानक हार्डवेयर केन्द्रित और विक्रेता निर्भर नहीं हो। इन मानकों, टेम्पलेट्स और डेटा स्वरूपों के विशेषज्ञों के दल, जिसमें सरकार, आई.टी. कंपनियों, शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और उपयोगकर्ताओं/हितधारकों के द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार कराया जायेगा। मुक्त स्रोत और खुले मानक समाधान के उपयोग को प्रोत्साहित किया जायेगा।

533 क्षमता निर्माण एवं परिवर्तन प्रबंधन

क्षमता निर्माण ई-शासन योजना के लिए आवश्यक तत्व है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि क्षमता निर्माण कार्यक्रम के नतीजे निम्नलिखित के अनुरूप हों

- चिन्हित स्टैकहोल्डरों के आवश्यक प्रशिक्षण का प्रावधान सुनिश्चित हो
- राज्य ई-शासन मिशन टीम का गठन कर ई-शासन को लागू करने हेतु संस्थागत क्षमता का निर्माण करना।
- सभी सरकारी विभाग पंच वर्षीय आइ.टी. योजना तैयार करेंगे, जिसमें प्रतिवर्ष आइ.टी. आधारभूत संरचना में निवेश, कर्मियों के प्रशिक्षण का वार्षिक ब्यौरा दिया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अनुरूप होगी।
- सभी सरकारी विभाग अपने कुल बजट का 3 प्रतिशत बजट एवं एक नोडल अधिकारी को चिन्हित करेंगे जो आइ.टी. परियोजनाओं के संदर्भ में सूचना प्रावैधिकी विभाग से समन्वय करेंगे।

534 एम-शासनाङ्गीकृत

राज्य सरकार के विभागों द्वारा एम-शासन के सुविस्तृत स्वीकरण को G2C, C2C और C2G जानकारी की लेन-देन वास्तविक समय में प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि SMS द्वारा स्वतः कहीं भी, कभी भी, किसी को भी इस विधि द्वारा तत्काल नागरिक सेवायें उपलब्ध करायी जा सकती है। बिहार सरकार प्रबंधित सेवा मॉडल पर एम-शासन प्लेटफार्म की परिकल्पना करती है, जो एक छोटी अवधि में बहुत जल्दी कार्यान्वित किया जा सकें।

535 हरित आई.टी. के बंधन

बिहार सरकार अपने वातावरण के प्रति जिम्मेवारी से अच्छी तरह अवगत है और हरित आई.टी. का बढ़ावा के लिये निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:-

- आई.टी. के हार्डवेयर को रिसाईक्लिंग और कार्बन क्रेडिट हासिल करने वाले परियोजना रिपोर्ट के लिये प्रोत्साहन प्रदान करते हुए ई-कचरे को कम करना।
- राज्य के बिजली संकट को कम करने के लिए सौर, पवन आदि जैसे अक्षय उर्जा संसाधनों का प्रयोग करना।
- उर्जा कुशल आई.टी. हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर/नेटवर्क संरचना के लिये प्रोत्साहित करना।
- भवन/लैंडस्केप में एकीकरण को प्रोत्साहित करना।

536 ई-शासकके नलषन

- राज्य सरकार ने सूचना प्रावैधिकी विभाग का सृजन 01.04.2007 के प्रभाव से किया है, जो आई.सी.टी. नीति का कार्यान्वयन एवं राज्य में कंप्यूटरीकरण करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में अधिनिमित है ।
- जिला स्तर पर जिला ई-शासन सोसायटी (DeGS) गठित की जायेगी, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगा । इसमें सभी विभागों के प्रतिनिधि, एन.आई.सी. के प्रतिनिधि, तकनिकी सलाहकार शामिल होंगे । जो जिला स्तर पर आई.टी. संबंधित स्कीमों/परियोजना का क्रियान्वयन, संचालन एवं निगरानी रखेंगे ।
- बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड निजी एजेंसियों के साथ ज्वाइंट वेंचर स्थापित करेगी। यह विभिन्न सरकारी विभागों के आइ.टी. आवश्यकताओं की समीक्षा करेगी, डी.पी.आर. तैयार करेगी तथा इन विभागों/संगठनों को ई-शासन लागू करने हेतु आवश्यक एजेंसी/ऑपरेटर को जुटाने में मदद करेगी, परियोजनाओं की देख रेख एवं उनका मूल्यांकन एवं अध्ययन भी करेगी।
- **राज्य ई-शासन परियोजना स्टीयरिंग समिति**

एस.ई.जी.पी. एक शीर्ष समूह है, जिसका गठन माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य को दृष्टि, नीति एवं दिशा देने के लिए किया गया है।

इस समिति में राज्य सरकार के संबंधित विभागों के पदाधिकारियों के अतिरिक्त सूचना प्राधौगिकी से जुड़े राज्य एवं राज्य के बाहर के विशेषज्ञ रहेंगे, जिनका मनोनयन मुख्य मंत्री, बिहार, द्वारा किया जायेगा।

सभी विभाग नियमित आधार पर इस समिति के लिए आई.टी.परियोजनाओं के निष्पादन पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होंगे।

➤ राज्य ई-शासन परियोजना शीर्ष समिति

एस.ई.जी.पी. स्टीयरिंग परिषद् का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आई. टी. को रणनीतिक दिशा देने एवं संबंधित निर्णय लेने हेतु किया गया है। सभी विभाग को नियमित रूप से इस समिति को आई.टी. परियोजनाओं के निष्पादन पर व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । इस शीर्ष समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:

- मुख्यसचिव- अध्यक्ष
- विकास आयुक्त- उपाध्यक्ष
- प्रधान सचिव, वित्त- सदस्य
- प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग- सदस्य
- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास- सदस्य

- प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी— सदस्य
- एस. आइ. ओ. एन. आइ. सी.— सदस्य
- तकनीकी परामर्शदाता— सदस्य

537 सरकार के अयफल

- बिहार सरकार ने नियमों में संशोधन किया है और कम्प्यूटर शिक्षा एवं कौशल को अनिवार्य बनाया है । राज्य में वर्ग 1 से 3 तक के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पदोन्नति और उन्नयन के लिए कम्प्यूटर कौशल को ध्यान में रखा जायेगा ।
- बिहार सरकार कम्प्यूटर के क्षेत्र में उच्चतम तकनीक के “इनक्यूबेशन केन्द्र” बनने का प्रयास कर रही है, इससे सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में परिप्रेक्ष्य उद्यमियों के लागत के आधार पर जरूरी सुविधाए व अनुभवी सलाह प्रदान की जाएगी । यह कार्यक्रम पीपीपी मोड पर विकसित की जाएगी ।
- बिहार सरकार ई-प्रमाण पत्र की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र की महत्ता को मान्यता देगी ।
- बिहार सरकार सार्वजनिक पुस्तकालय और सभी विभागों के डाटा रिकार्ड के लिए डिजिटरीकरण के महत्व को मान्यता देगी । यह कार्यक्रम डाटा के गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आरंभ किया जाएगा । सभी विभागों की कर्मचारियों की जानकारी, नागरिक संबंधित जानकारी, वित्तीय जानकारी इत्यादि का डिजिटरीकरण किया जायेगा और उसके सूचना/डाटा 2016 तक चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम चलाकर पूरा कर लिया जायेगा ।
- राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आईटी/आईटीईएस/ईएचएम संबंधित नवीनतम तकनीकी जानकारी और रुझानों के महत्व को मान्यता देगी, जो कि राज्य के तकनीकी विकास में कारगर साबित होगा । सूचना प्रावैधिकी विभाग प्रति वर्ष 10 लाख रुपये का योगदान कर पुस्तकालय स्थापित करेगा । जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी पर रुझान, बाजार, सूचना एवं अनुसंधान संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा ।
- राज्य सरकार “ब्रैड इक्यूटी” बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी और कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों में भाग लेंगे ।
- राज्य सरकार द्वारा विशेष दिन को चिन्हित कर आई.टी. दिवस मनाया जाएगा । सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस दिन सेमिनार, सम्मेलन/सभा इत्यादि आयोजित करेगा । सूचना प्रौद्योगिकी से सम्मानित व्यक्तियों को राज्य का मार्गदर्शन एवं भविष्य की रूप-रेखा तैयार करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ।
- राज्य सरकार मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन करेगा, जिसमें सूचना प्रौद्योगिक क्षेत्र से विख्यात गैर राजनैतिक नेताओं को शामिल किया जाएगा ।
- बिहार सरकार का लक्ष्य 2016 तक पेपरलेस करने का है ।

5.4 नागरिकों के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी नीति

- बिहार सरकार राज्य के सभी 8,463 पंचायतों में सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित कर रही है।
- राज्य के पोर्टल द्वारा सरकार विभागों, योजनाओं, आदेश, निविदाएं, नोटिस से संबंधित जानकारी दी जायेगी। शिकायतों की सूनवाई एवं प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों का प्रकाशन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।
- बिहार सरकार द्वारा नागरिकों के लिए e-literacy कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी।
- आम जनता को पोर्टल द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का सरलता से लाभ उठाने हेतु सरकार सभी पोर्टलों और सॉफ्टवेयर ऐप्लिकेशनस में हिन्दी एवं उर्दू के प्रयोग को प्राथमिकता देगी।
- बिहार सरकार सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इस्तेमाल हेतु पायलॉट परियोजना आरंभ करने हेतु प्रयासरत रहेगी जो बहुआयामी तरीकों पर आधारित होगा तथा जिनमें वित्तीय एवं अन्य सुविधाओं का भी समावेश रहेगा। विकासात्मक विपणन एवं ग्रामीण कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- राज्य सरकार द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर आधारित सभी महत्वपूर्ण आधारभूत परिसम्पत्तियों के नक्सा आकलन की कार्रवाई की जायेगी तथा इसका संयोजन विविध सूचना प्रणाली के साथ किया जायेगा। उक्त सुविधा का उपयोग विभिन्न विभागों के द्वारा परियोजनाओं के दूरगामी सूत्रण एवं अनुश्रवण में किया जायेगा।
- भौगोलिक सूचना प्रणाली डाटा बेस को आधिकाधिक दूर संवेदन तकनीक के साथ संयोजन की कार्रवाई की जायेगी।
- किसानों की सहायता के लिए सरकार निम्नलिखित प्रणाली विकसित करेगी।
 1. विभिन्न जलवायु तत्व जैसे वर्षा, जल की उपलब्धता एवं मिट्टी की उर्वरक दशा पर डाटाबेस;
 2. भूमि उपयोग प्रबंधन, कृषि कार्य एवं लोक स्वास्थ्य हेतु डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली एवं प्रबंधन सूचना प्रणाली;
 3. कृषि विस्तार तथा अन्य जागरुकता संबंधी कार्यक्रमों के क्षेत्र में शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु मल्टीमीडिया सुविधा प्रदान करना।
- बिहार सरकार का यह प्रयास है कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में आइ.टी. मेले आयोजित किए जाएं जिनमें लोगों को आइ.टी.से होने वाले लाभ प्रदर्शित किए जाएं।
- राज्य सरकार बी.एस.एन.एल. के साथ राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ेगी। फेज-1 में इन क्षेत्रों को ए.डी. एस. एल. से जोड़ा जाएगा। फेज-2 में इन्हें

वायरलेस टावर ये जोड़ा जाएगा। फेज-3में प्री. वाइ. मैक्स/वाइ. मैक्स परिदृश्य के तहत इन ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाएगा।

- आइ.टी. संस्थानों, विभिन्न विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं आइ.टी. कम्पनियों के सहयोग से सभी आइ.टी. प्रशिक्षित विद्यार्थियों का डाटा बेस तैयार किया जाएगा। उम्मीदवारों को रोज़गार देने के उद्देश्य से इस डाटा बेस को राज्य में स्थापित आइ.टी. कम्पनियों के साथ बांटा जाएगा इस आइ.सी.टी. नीति की योजना अगले तीन वर्षों में एक लाख रोज़गार योग्य युवाओं को आइ.टी. के क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना है। यह भी अनुमानित है कि अगले तीन वर्षों में इससे तीन लाख अप्रत्यक्ष रोज़गार भी सृजित होगा।

6. व्यापार एवं सामाजिक आधारभूत संरचना सुधार

बुनियादी सुविधाओं की समुचित उपलब्धता व्यापारिक गतिविधियों के सुचारु संचालन हेतु एक दूसरा ज़रूरी तत्व है। इन ज़रूरतों को पूरा करने हेतु बिहार में व्यापारिक और सामाजिक आधारभूत संरचना में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा उद्योग के परिपेक्ष्य में व्यापारिक गतिविधियों हेतु मुख्य बुनियादी आवश्यकताओं में संचार, विश्व स्तरीय कार्यालय हेतु समुचित स्थान, जहां नियमित बिजली, पानी की व्यवस्था हो तथा जो वायुमार्ग से जुड़ा हो, आवश्यक तत्व हैं। दूसरे संबंधित तत्वों में घरेलू रियेल इस्टेट, रिटेल एवं हॉस्पिटैलिटी आवश्यक हैं। इस संदर्भ में की गई मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं।

6.1 वायुमार्ग सम्पर्क

राज्य को सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवा के अनुकूल बनाने हेतु वायुमार्ग सम्पर्क आवश्यक है। पटना एवं गया का सम्पर्क मुख्य राष्ट्रीय और चुने हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्थानों से बढ़ाया जाएगा। हवाई अड्डों पर सुविधाओं को बढ़ाने में निवेश किया जाएगा। देश के विभिन्न शहरों के बीच निजी कंपनियों द्वारा एयर टैक्सी के संचालन को प्रोत्साहित किया जाएगा।

6.2 सड़क सम्पर्क

हवाई अड्डों और रेलवे स्टेशनों को आइ.टी. पार्क से जोड़ने हेतु सम्पर्क सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि कम समय में यात्रा की जा सके। इन सड़क नेटवर्क के विकास करने हेतु मूल्य वर्धित सेवा जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सतर की सुविधा, होटल, रेस्त्रां,पेट्रोल पंप, आकस्मिक सेवा इत्यादि भी विकसित की जाएगी।

6.3 विद्युत आपूर्ति

लोक एवं निजी क्षेत्रों में नई विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देकर आइ.टी. उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। वैसी आइ.टी. इकाईयां जो अपना कैप्टिव पावर प्लांट विकसित करेंगी, उन्हें सुविधा और प्रोत्साहन दिया जाएगा।

6.4 विश्वसनीय संप्रेषण लिंक

राज्य सरकार सभी आइ.टी. पार्को हेतु विश्वसनीय टेलिकॉम सेवा प्रदाताओं को उच्च शक्ति का टेलीकॉम संप्रेषण लिंक लगाने को प्रोत्साहित करेगी। चुने हुए स्थानों में बेस स्टेशन तथा नेटवर्क उपकरण लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑप्टिक फाइबर बिछाने तथा टावर लगाने के सही तरीके सुनिश्चित करने हेतु सिंगल विंडो प्रणाली स्थापित की जाएगी।

6.5 घरेलू रियल इस्टेट

निजी क्षेत्रों को उच्च कोटि का आवासीय परिसर निर्मित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसमें पर्याप्त खुली जगह, खेल का मैदान तथा पार्किंग उपलब्ध हों। आइ.टी. पार्को के आस पास कर्मचारियों एवं उनके परिवार के रहने हेतु घरेलू इकाई का निर्माण किया जाएगा।

6.6 रिटेल एवं मनोरंजन हेतु केन्द्र

बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर, मॉल, 5 एवं 7 सितारा होटल, कैफे, आधुनिक रेस्त्रां, आधुनिक सिनेमाघर एवं मल्टीप्लेक्स खोलने को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये सुविधाएं सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सहायी सेवाओं के कर्मचारियों की मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करने हेतु होगा।

7. महत्वपूर्ण सूचनाएं

- इस नीति के अंतर्गत मिलने वाली लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगे, जिन्होंने ऐसे लाभ किसी और नीति के तहत नहीं लिये हैं।
- सभी संबंधित विभाग इस नीति की घोषणा के बाद एक माह के अंदर प्रासंगिक अधिसूचना जारी करेगे।
- किसी कमी को दूर करने के लिए विभिन्न लोगों के साथ मध्यावधि समीक्षा की जायेगी।
- इस नीति के किसी प्रावधान के समझने में कोई शक या विवाद आने पर प्रधान सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के निर्णय द्वारा सुलझाये जायेंगे।
- इस नीति के अंतर्गत नियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए खास जोर दिया जायेगा तथा पारदर्शी प्रणाली लागू की जायेगी।
- जांच करने पर यदि किसी के द्वारा किये गये दावे में गलती पायी जाती है तो प्रोत्साहन के रूप में ली गयी राशि दण्ड के साथ पब्लिक डिमांड रिकॉवरी एक्ट के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा वापस ले ली जायेगी।